

रघुवीर

बनाम

रामखिलाडी वगैर

दवा

नं.

1117

सन्

हुकम

हुकम या कार्यवाहीमदेइनिशियल्स

नम्बर व तारीख
अहकामजोइसहुकम
की
तामीलमेंजारीहुए ।

वकील वाडी श्री राजाराम श्रीना एडो हारा प्रकृत
वाकपत्र एवं रिपोर्ट अहलमदका अवलोकन
दिया गया। दवा वाडी दर्ज रजिस्ट्रेशन लकी
प्रतिवादीजण जर्गे सम्मन की जाकर पत्रवली
दिनांक 31/3/17 को पेश हो

1117
93-92
6/10/17

पिप

2) वकील वाडी उपर पूर्ण हुला (दिनांक 30/3/17)
को पेश हो पिप

3) वकील वाडी उपर पूर्ण हुला (वर्तित इंजार
तन्मत दि० 18/5/17) को पेश हो पिप

24/5/17 पत्रवली अर्ज राजस्व जेठ अहलमद अम्बिन
2017 हुकम कामपंचायत राहिर में पेश हुई।
प्रतिवादी सं. 5 ने अवक पेशका रिपेदन किया
है कि काम राहिर का नामा सं. 518 निर्जय दिनांक
20/11/15 रका सं. 124 कुल किया 10 कुल
रकबा 8 बीघा 07 बिघा जर्गि किया रामखिलाडी
दर्शन भरलाल सिंह हरिशम दि० 3/4 रघुवीर
दत्तक पूरा किया सं. 180/14 को मनीना जाठदेह के
नाम पर दर्ज किया गया था। उक्त नामा की
जर्गि दर्शन वगैराने जिला कलक्टर महोदय
के नामालम में प्रस्तुत की। नामालम जिला
कलक्टर फरीखी ने आमाग अपील के निर्णय
दि० 8.2.2016 द्वारा उक्त नामा को निरस्त
करा है। हुकम रहलील दवा लपोट्य को
दिनांक 30/3/17 को पेश हो नामालम जिला

इस प्रकार करौली के निवासिनी पालना मेनाम
 से 5/8 गामनादि को दिनांक 24/6/17
 को निरस्त किया जाकर खारा पुर्वाहुला
 रामसिपाडी, दर्शन, सिमापन, भरलाल
 पिठ हयिराम कोण मीना सह देह दे नाम
 र्ज किया गया। उक्त प्रमाण नामाठ की
 हुनवाई अथोहस्ताक्षरता के नामाठन में
 विचारणीय है जिसमें यह पुनवाई विधि
 लम्बत विधि परित किया जाकर
 सिमापन की विरासत का नामाठ नमो
 सिरे से र्ज कराया जायेगा। इस लिए
 उक्त प्रमाण के वादुष्य में वादी खुली
 खाते का नही रहा है, इसलिए खरा
 चलने योग्य नहीं है। उक्त प्रमाण को ही
 प्रमाण माना।

पत्रावली एवं गृहनिर्माणा कार्य-
 लंबत होला के उक्त वाद अथोहस्ताक्षरता
 गामा अथोहस्ताक्षरता से प्राप्त गामा कि विचारित
 आगुनी में वादी जिस नामाठ प्रमाण से सह-
 खाते का हुआ है, उक्त नामाठ से 5/8 दिनांक
 20/5/2014 को गामनाम नामाठन जिला कलेक्टर
 करौली के विधि दिनांक 8/2/2016 द्वारा खारिज
 कर दिया गया है, इसलिए विचारित नामाठ
 में वादी खाते का/ सह खाते का र्ज सिफाई
 नहीं है, खाते का/ सह खाते का नही होने की
 दृशा में खरा अथोहस्ताक्षरता आय 53, R.T. नमो
 चलने योग्य नहीं है, इसलिए खरा वादी
 खारिज होने योग्य है।

अतः खरा वादी खारिज
 किया जाता है। पत्रावली के नाम पुर्वाहा से कर
 नामाठ से कर है।

Riy
 उप जिला कलेक्टर
 सपाटा, जिला-करौली